

पत्रांक-7/औषधि-07-01/2018- 87(7)A

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना  
क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर  
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक : 01-02-19

विषय: स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 06-लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, अन्य मदों में कुल-₹1,78,38,387/- ( एक करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हजार तीन सौ सतासी रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-22(7)ब दिनांक-14.06.18, 31(7)ब दिनांक-17.09.18, 52(7)ब दिनांक-11.10.18 एवं 66(7)ब दिनांक-05.12.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक इकाईयों, अन्य मदों में कुल-₹1,78,38,387/- ( एक करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हजार तीन सौ सतासी रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 06-लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड 20-2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा प्रथम अनुपूरक आगणन (वित्त विभाग के पत्रांक-59D ब15/ बी०एस०जी०-75/2018(खंड)-662/वि० दिनांक-02.08.18) के तहत प्राप्त राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-131(7) दिनांक-25.01.19) से प्राप्त राशि से निकासी किया जायेगा ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना /क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर/ सम्बंधित सिविल सर्जन होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. कय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 96(9) दिनांक 18.02.99, 142(9) दिनांक 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002, 379) दिनांक 16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

(6)


9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
10. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



( राधेश्याम साह )

सरकार के विशेष सचिव



ज्ञापानक : 87(7) 0


पटना, दिनांक : 01-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06 लोक स्वास्थ्य-104-औषध नियंत्रण-0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र  
कोड 20-2210061040001 वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अतिरिक्त आवंटन :-

क्रम	जिला का नाम	कार्यालय व्यय (13-01)	संविदा सेवाएँ (28-02)	कुल	पत्रांक/ दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना	2041000	0	2041000	
2	औषध नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के कार्यालय	0	590540	590540	197/4.12.18
3	क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना	0	270000	270000	
4	क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	0	270000	270000	
5	क्षेत्रीय अपर निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	0	270000	270000	
6	सिविल सर्जन, पटना	0	270000	270000	
7	सिविल सर्जन, भोजपुर	0	272280	272280	105/11.1.19
8	सिविल सर्जन, गोपलागंज	0	600000	600000	1753/7.8.18
9	सिविल सर्जन, बेतिया	0	600000	600000	40/8.1.19
10	सिविल सर्जन, वैशाली	0	900000	900000	23/4.1.19
11	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	0	400000	400000	1813/12.9.18
12	सिविल सर्जन, दरभंगा	0	270000	270000	
13	सिविल सर्जन, कटिहार	0	781717	781717	2030/30.8.18
14	सिविल सर्जन, पूर्णिया	0	800000	800000	3251/5.12.18
15	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	0	425000	425000	2582/14.12.18
16	सिविल सर्जन, छपरा	0	800000	800000	2531/7.9.18
17	सिविल सर्जन, मधुबनी	0	210000	210000	1880/26.7.18
18	सिविल सर्जन, मोतिहारी	0	270000	270000	
19	सिविल सर्जन, बेगुसराय	0	250000	250000	1957/25.9.18
20	सिविल सर्जन, नवादा	0	360000	360000	3356/5.12.18
21	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	0	270000	270000	
22	सिविल सर्जन, सहरसा	0	270000	270000	
23	सिविल सर्जन, गया	0	780000	780000	2451/21.8.18
24	सिविल सर्जन, सिवान	0	561000	561000	15/4.9.18
25	सिविल सर्जन, नालन्दा	0	500000	500000	2703/20.8.18
26	सिविल सर्जन, मुंगेर	0	270000	270000	
27	सिविल सर्जन, रोहतास	0	270000	270000	
28	सिविल सर्जन, सीतामढ़ी	0	432000	432000	2407/28.8.18
29	सिविल सर्जन, खगड़िया	0	270000	270000	
30	सिविल सर्जन, भागलपुर	0	300000	300000	125/11.1.19
31	सिविल सर्जन, बाँका	0	150000	150000	1789/24.8.18
32	सिविल सर्जन, मधेपुरा	0	300000	300000	798/12.9.18
33	सिविल सर्जन, बक्सर	0	276000	276000	2193/18.9.18
34	सिविल सर्जन, लखीसराय	0	180000	180000	1429/7.9.18
35	सिविल सर्जन, शिवहर	0	270000	270000	
36	सिविल सर्जन, कैमूर	0	396000	396000	1426/14.9.18
37	सिविल सर्जन, शेखपुरा	0	125000	125000	1574/20.12.18
38	सिविल सर्जन, जमुई	0	306315	306315	2161/1.12.18
39	सिविल सर्जन, सुपौल	0	487500	487500	122/22.1.19
40	सिविल सर्जन, जहानाबाद	0	270000	270000	
41	सिविल सर्जन, अररिया	0	34035	34035	12/5.1.19
42	सिविल सर्जन, किशनगंज	0	270000	270000	
43	सिविल सर्जन, अरवल	0	200000	200000	32/5.1.19
	कुल	2041000	15797387	17838387	

(एक करोड़ अठहत्तर लाख अड़तीस हजार तीन सौ सतासी) ₹० मात्र

87(7)A  
01-02-19

सरकार के विशेष सचिव  
कैम्प

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित (*प्रथम अनुपूरक सहित) राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	90000000	90000000	0	90000000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	10000000	10000000	0	10000000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	21143000	21143000	0	21143000	0
4	परिवहन भत्ता (000101-05)	509000	509000	0	509000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	2544000	2544000	0	2544000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	9307000	9307000	0	9307000	0
	<b>योग 20-2210.06.104.0001.01 वेतन</b>	<b>133503000</b>	<b>133503000</b>	<b>0</b>	<b>133503000</b>	<b>0</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	940761	0	940761	59239
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	612000	612000	0	612000	0
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)*	12541000	10499574	2041000	12540574	426
10	वाहन का ईंधन एवं रख	100000	50000	0	50000	50000
11	दूरभाष (0001-13-03)	20000	20000	0	20000	0
12	विधि प्रगार (0001-13-05)	1000000	756000	0	756000	244000
13	वर्दी/ पोषाक (0001-13-06)	50000	50000	0	50000	0
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1650000	0	0	0	1650000
15	सामग्री एवं पूर्तियों (0001-21-01)	200000	200000	0	200000	0
16	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	50000	0	50000	0
17	संविदा सेवाएँ (0001-28-02)	17000000	100000	15797387	15897387	1102613
18	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	500000	500000	0	500000	0
	<b>कुल योग</b>	<b>168226000</b>	<b>147281335</b>	<b>17838387</b>	<b>165119722</b>	<b>3106278</b>

87(7)A  
01-02-19

01/19  
सरकार के विशेष सचिव  
बिनायक